1000 करोड़ रुपये बासमती निर्यातकों का फंसा पड़ा है ईरान में। करनाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के कई बड़े निर्यातकों को दिक्कत यह है कि उन्हें न तो ईरान सरकार इन्कार कर रही है न ही राशि जारी की जा रही है। ऑल इंडिया राइस निर्यातक एसोसिएशन के उपप्रधान ने स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है।

अदालत ने कुलदीप सेंगर और शशि को तिहाड़ भेजा

उन्नाव दुष्कर्म कांड ▸ केस से जुड़े तीन मामलों पर आज होगी सुनवाई

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

उन्नाव दुष्कर्म कांड में आरोपित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर और शशि सिंह को भारी सुरक्षा के बीच सोमवार को तीस हजारी सत्र अदालत (पश्चिम) में पेश किया गया। पहले दिन सामूहिक दुष्कर्म के मामले में ही सुनवाई हुई। अब बुधवार को इस केस में आरोप तय करने पर बहस शुरू होगी। वहीं, मंगलवार को इससे जुड़े तीन अन्य मामलों की सुनवाई होगी। इनमें पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत का मामला भी शामिल है। अन्य आरोपितों को भी अदालत में पेश किया जाएगा।

तीस हजारी अदालत ने गत शनिवार को ही आरोपितों के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी कर दिया था, जिसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस कुलदीप सिंह सेंगर और शशि सिंह को सोमवार सुबह दिल्ली ले आई। दोनों आरोपितों को अदालत में गोपनीय जगह रखा गया था। सुनवाई पहले 12.30 बजे के लिए तय थी, लेकिन इसमें कुछ बदलाव करते हुए आरोपितों को दो बजे अदालत में लाया गया। पेशी के दौरान कोर्ट रूम के बाहर पुलिस और वकीलों के बीच बहस और धक्का-मुक्की भी हुई।

आरोपितों के वकील ने लगाया मीडिया ट्रायल का आरोप : अदालत में आरोपितों की तरफ से पेश हुए वकीलों ने कहा कि इस केस का मीडिया ट्रायल शुरू हो गया है। उनके मुवक्किलों को अदालत के फैसले से पहले ही दोषी करार दिया जा रहा है। वहीं, सीबीआइ की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता ने कहा कि इस मामले की सुनवाई के लिए अभी विशेष अभियोजक नियुक्त करने की अधिसूचना हुई है। अब वे इस मामले में पेश होंगे। इसके बाद अदालत ने सुनवाई बुधवार के लिए तय कर दी।

तीस हजारी कोर्ट में उन्नाव कांड में आरोपित विधायक कुलदीप सेंगर। जागरण

परिवार के दो लोगों से मिलवाया गया : आरोपित विधायक सेंगर के वकीलों ने अदालत में कहा कि परिजनों से मिलने का मौका दिया जाए। इस पर अदालत ने दो लोगों को आरोपितों से मिलने का मौका दिया। इसके बाद सत्र न्यायाधीश धर्मेश शर्मा के आदेश पर भारी सुरक्षा के बीच आरोपितों को तिहाड़ जेल भेज दिया गया। आरोपित सेंगर के अधिवक्ता संदीप दुबे ने बताया कि फिलहाल न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेजने का आदेश हुआ है। वहीं, पीड़ित पक्ष की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता धर्मेंद्र मिश्रा ने बताया कि इस प्रकरण से जुड़े तीन मामलों की सुनवाई मंगलवार को होगी, जबकि सामूहिक दुष्कर्म के मामले में आरोप तय करने पर बुधवार से बहस होगी।

पुलिस और वकीलों के बीच धक्का-मुक्की: आरोपित कुलदीप सेंगर और शशि सिंह की अदालत में पेशी के दौरान मजबूत सुरक्षा घेरा होने के बावजूद वकीलों और पुलिस में बहस हो गई। कुछ वकील कोर्ट रूम के अंदर जाने पर अड़े रहे, लेकिन पुलिस ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। इस पर दोनों के बीच धक्का-मुक्की भी हुई।

लखनऊ से दिल्ली एम्स लाई गई दुष्कर्म पीड़िता

▸ मां की तरफ से अनुरोध के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिया निर्देश

▸ कहा, घायल वकील का परिवार भी जब भी चाहे कर सकता है अपील

जासं, लखनऊ : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को निर्देश दिया कि उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता को बेहतर इलाज के लिए लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कालेज (केजीएमसी) अस्पताल से विमान से लाया जाए और दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में भर्ती कर उसका उपचार कराया जाए। इसके बाद पीड़िता को लखनऊ यातायात पुलिस ने सोमवार शाम ग्रीन कॉरिडोर बनाकर 38 मिनट में एयरपोर्ट पहुंचा दिया। शाम 06:24 बजे ट्रॉमा सेंटर से सीआरपीएफ और पुलिस की सुरक्षा में एंबुलेंस निकली और 33 किमी की दूरी तय कर 07:02 बजे एयरपोर्ट पहुंच गई। यहां से एयरलिफ्ट कर दिल्ली ले जाया गया है। पीड़िता के इलाज के लिए एम्स में एनेस्थीसिया व क्रिटिकल केयर के विशेषज्ञ डॉ. रंजन त्रिखा के नेतृत्व में चार चिकित्सकों की टीम गठित हुई है।

बता दें कि उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता पिछले सप्ताह कार और ट्रक की टक्कर में बुरी तरह घायल हो गई थी। न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ ने यह निर्देश देने से कुछ मिनट पहले ही इस महिला और उसके घायल वकील को एम्स स्थानांतरित करने का मामला शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दिया था, क्योंकि उसके परिवार की ओर से इस तरह का अनुरोध करने के लिए कोर्ट में कोई उपस्थित नहीं था।

रायबरेली में हुए सड़क हादसे में घायल उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता को सोमवार शाम ग्रीन कॉरिडोर बनाकर एयरपोर्ट पहुंचाया गया। वहां से उसे एयर एंबुलेंस से दिल्ली एम्स ले जाया गया जागरण

कुछ देर बाद परिवार के सदस्य की ओर से एक वकील पीठ के समक्ष पेश हुआ। वकील ने कोर्ट से अपील की कि पीड़िता की मां चाहती हैं कि उनकी बेटी को बेहतर इलाज के लिए दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में स्थानांतरित कर दिया जाए। पीड़ित की ओर से पेश वकील डी रामकृष्ण रेड्डी की अपील का संज्ञान लेते हुए पीठ ने उसे केजीएमसी से एम्स स्थानांतरित करने का आदेश दिया। पीठ ने इस मामले की सुनवाई शुक्रवार के लिए निर्धारित करते हुए स्पष्ट किया कि घायल वकील का परिवार भी यह राहत प्राप्त कर सकता है और इसके लिए जब भी आवश्यकता हो कोर्ट में अपील कर सकता है।

दुष्कर्म पीड़िता की सुरक्षा में लापरवाही पर सीबीआइ की निगाह

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : उप्र के उन्नाव (माखी) दुष्कर्म पीड़िता की कार दुर्घटना मामले में सीबीआइ की जांच में एक बार फिर स्थानीय पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। सीबीआइ ने सोमवार को 15 पुलिसकर्मियों से पूछताछ की, इनमें सात माखी थाने में तैनात पुलिसकर्मी शामिल थे। साथ ही पीड़िता की पिता की हत्या के गवाह की मौत के मामले से जुड़े अभिलेख माखी थाने से लिए जबकि फतेहपुर में ट्रक मालिक के भाई प्रसपा नेता और चालक के परिजनों से पूछताछ की।

सीबीआइ अधिकारियों ने लखनऊ स्थित जोनल कार्यालय में पीड़िता की सुरक्षा में तैनात रहे पुलिसकर्मियों को उन्नाव पुलिस लाइन से तलब किया। सूत्रों का कहना है कि इन पुलिसकर्मियों की कॉल डिटेल भी निकाली जा रही है। सीबीआइ की एक टीम पुलिस कस्टडी रिमांड पर लिये गये ट्रक चालक आशीष व क्लीनर मोहन को रायबरेली लेकर गई और दुर्घटना स्थल पर छानबीन की। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों से उनका सामना भी कराया गया। सीबीआइ के साथ फारेंसिक विशेषज्ञ भी मौजूद थे। सीबीआइ ने बांदा के मौरंग व्यवसायी सोहराब से भी पूछताछ की है।

नौ आरोपितों की भूमिका की जांच: दुर्घटना के बाद रायबरेली में दर्ज कराई गई एफआइआर में विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के साथ नामजद अन्य नौ आरोपितों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। सभी नौ आरोपितों को सीबीआइ ने नोटिस देकर पूछताछ के लिए तलब किया है।

न्यूज गैलरी

रुद्रप्रयाग के बांसवाड़ा में 17 घंटे बाद खुला केदारनाथ हाईवे

देहरादून : प्रदेशभर में रुक-रुककर हो रही बारिश का क्रम जारी है। करीब 17 घंटे से रुद्रप्रयाग के बांसवाड़ा के पास केदारनाथ हाईवे सोमवार सुबह 10 बजे खुला। बदरीनाथ हाइवे भी सुबह तीन घंटे चमोली के लामबगड़ में अवरुद्ध रहा। उधर, कुमाऊं मंडल के अधिकांश क्षेत्रों में मध्यम बारिश हुई। बारिश-भूस्खलन से प्रदेश में 79 संपर्क मार्ग अवरुद्ध हैं। देहरादून में बीते रविवार रात करीब एक बजे से शुरू हुई बारिश सुबह छह बजे थमी। इस दौरान 23 :3 मिलीमीटर बारिश रिकार्ड की गई। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक बिक्रम सिंह ने बताया कि आने वाले 24 घंटे में विशेषकर देहरादून, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पौड़ी पिथौरागढ़ एवं नैनीताल में भारी हो सकती है। (जासं)

तीन गुलदारों के शव मिलने के बाद कॉर्बेट में भी अलर्ट

रामनगर(नैनीताल) : राजाजी टाइगर रिजर्व समेत आसपास के वन क्षेत्र में दो अगस्त को तीन गुलदारों के शव मिलने से बाद कॉर्बेट टाइगर रिजर्व(सीटीआर) में भी अलर्ट जारी हो गया। शिकारियों के घुसपैठ की आशंका को देखते हुए एहतियातन सीटीआर में भी सुरक्षा बढ़ा दी है। हर गतिविधि पर पेट्रोलिंग के साथ ही थर्मल कैमरे व ड्रोन उड़ाकर निगरानी की जा रही है। निदेशक व एसडीओ ने जंगल के संवेदनशील क्षेत्रों में गश्त करने के निर्देश वन कर्मियों को दिए। कार्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक राहुल ने बताया कि पेट्रोलिंग तो रोजाना हो रही है। घुसपैठ की गतिविधियों पर भी बराबर नजर रखी जा रही है। (जासं)

गाजियाबाद में हादसे में सैन्य अफसर की पत्नी की मौत

गाजियाबाद : नागद्वार करहैड़ा के पास सड़क हादसे में एयरफोर्स के जूनियर वारंट आफिसर की पत्नी की मौत हो गई। बिहार के कटिहार के सुदामापुरी गांव निवासी कमल नयन मिश्र भारतीय वायु सेना में जूनियर वारंट आफिसर हैं। वह हिंडन एयरफोर्स स्टेशन के आवासीय परिसर में रहते हैं। रविवार शाम वह पत्नी करुण के साथ बाइक से राजनगर एक्सटेंशन निवासी दोस्त से मिलने जा रहे थे। नागद्वार करहैड़ा के पास हिंडन पुल पर चढ़ते ही एक ट्रक ने पीछे से उनकी बाइक में टक्कर मार दिया। वह बाइक सहित गिर गए, जबकि पत्नी करुण ट्रक के पिछले पहिए में फंसकर घिसट रही थीं। उन्होंने चिल्लाते हुए किसी तरह ट्रक रुकवाया। घायल पत्नी को लेकर वह अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। (जासं)

झारखंड में माओवादियों ने दो की हत्या की

जागरण संवाददाता,खूंटी/अड़की : अड़की थानांतर्गत बलानी सरायकेला सीमा पर रविवार देर रात माओवादियों ने दो लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। बाद में मृतकों की पहचान उसके परिजनों ने अड़की के रुरवांग गांव निवासी सुंदर नाग तथा लुपिन नाग के रूप में की।

माओवादियों ने गोली सिर पर मारी है। साथ ही एक मोटरसाइकिल को जलाकर राख कर दिया है। घोर नक्सल प्रभावित इलाके में एक बार फिर दहशत कायम करने के लिए माओवादियों ने हत्या कर मृतकों के शव पर पोस्टर भी रखा है। पोस्टर में लिखा था कि दोनों युवक माओवादियों के नाम पर लेवी वसूलने का काम करते थे इसलिए उनकी हत्या की गई। घटनास्थल से दो खोखे भी बरामद किए गए हैं। सूत्रों के अनुसार घटना देर रात की है। गांव के ही एक बजुर्ग व्यक्ति ने देर रात धू-धूकर जलती मोटरसाइकिल देखी थी। इसके बाद हत्या की जानकारी मिली। सुबह होते-होते ग्रामीणों के बीच हत्या की खबर आग की तरह फैल गई। पुलिस ने घटनास्थल पर जाकर दोनों शवों को कब्जे में लेकर थाने पहुंचाया। खूंटी एसपी आलोक ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि खूंटी के समीपवर्ती चाईबासा-कोरबा सीमा में माओवादियों ने दो लोगों की हत्या की है।

गुजरात के आइएएस ने महिला पर लगाया ब्लैकमेल करने का आरोप

राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद

▸ गुरुग्राम के रहने वाले दहिया के पहले पत्नी से तलाक लेने पर संशय

पहली पत्नी के रहते दिल्ली की एक युवती से विवाह रचाकर चर्चा में आए गुजरात के आइएएस अधिकारी गौरव दहिया ने जांच समिति के समक्ष हाजिर होकर पीड़िता के खिलाफ ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया। उधर, पुलिस ने दहिया को नोटिस भेजकर सात दिनों में जवाब मांगा है। बता दें कि मूलरूप से हरियाणा के गुरुग्राम के रहने वाले गौरव पहले राज्य के नेशनल हेल्थ मिशन (एनएचएम) के डायरेक्टर थे। महिला द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद उन्हें सामान्य प्रशासन विभाग में भेज दिया गया था।

दरअसल, गुजरात पुलिस ने गत दिनों दिल्ली जाकर पीड़िता के बयान दर्ज किए थे। अपने आरोपों के समर्थन में पीड़िता ने पुलिस को कई फोटो, वाट्सएप पर भेजे संदेश आदि सुबूत के तौर पर पेश किए थे। इसके बाद गांधीनगर पुलिस ने आइएएस दहिया को जवाब देने को बुलाया, लेकिन वे हाजिर नहीं हुए। सोमवार को गौरव दहिया ने राज्य सरकार की जांच समिति के समक्ष पेश होकर उक्त युवती पर ब्लैकमेल का आरोप लगाया। उनका कहना है कि उक्त महिला के साथ उनके संबंध रहे हैं, लेकिन सब सहमति से हुआ। वे अपनी पत्नी को नहीं छोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह पत्नी के साथ इस पीड़िता से अहमदाबाद के होटल में मिल चुके हैं।

दरअसल, इस मुलाकात में महिला ने विवाद होने पर पुलिस को बुला लिया था। जांच समिति को पीड़िता ने बताया था कि 28 फरवरी 2018 को उन्होंने विवाह किया था और 23 नवंबर 2018 को एक बेटी का जन्म हुआ। पीड़िता का कहना था कि जनवरी 2019 में पहली पत्नी से तलाक के दस्तावेज दहिया ने उसे दिखाए थे, लेकिन दहिया का कहना है कि उनका तलाक नहीं हुआ। बता दें कि फिलहाल आइएएस दहिया एक तीसरी महिला के साथ लिव इन रिलेशन में रहते हैं।

इस महिला ने दिल्ली की पीड़िता के खिलाफ मानहानि का मुकदमा करने की बात कही है। उसने वाट्सएप में एक पोस्ट के जरिये बताया कि दिल्ली की युवती गौरव दहिया के साथ उसके संबंधों को लेकर कई तरह के आरोप लगा रही है, जिससे उसकी मानहानि हुई है।

मेडिकल टीम को बंद मिला जौहर मेडिकल कॉलेज व अस्पताल

जागरण संवाददाता, रामपुर: प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा महानिदेशक के आदेश पर मेडिकल अफसरों की टीम सोमवार को मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज पहुंची। टीम यहां अस्पताल बंद देखकर लौट गई।

सांसद आजम खां ने जौहर यूनिवर्सिटी में मेडिकल कॉलेज भी बनवाया है, जिसकी शुरुआत नहीं हो पाई है। उन्होंने कॉलेज शुरू करने के लिए मेडिकल काउंसिल से अनुमति मांगी है। इसके लिए जरूरी है कि मेडिकल कॉलेज शुरू होने से पहले वहां तीन साल से अस्पताल चल रहा हो, जिसमें सभी आवश्यक सुविधाएं हों और मरीज भी आते हों। मेडिकल काउंसिल पहले इसकी जांच कराती है। इसके बाद ही अनुमति देती है। प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा महानिदेशक के आदेश पर सोमवार को इसकी जांच के लिए चिकित्सा अधिकारियों की टीम जौहर यूनिवर्सिटी पहुंची, लेकिन यहां मेडिकल कॉलेज और अस्पताल सब बंद था। रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंचकर जानकारी करनी चाही, लेकिन रजिस्ट्रार भी उपलब्ध नहीं थे। टीम ने अस्पताल के गेट पर नोटिस चस्पा कर दिया और जिलाधिकारी को मामले से अवगत करा दिया।

पत्रकारों को मालेगांव मामले की इन कैमरा सुनवाई पर आपत्ति

▸ मामले में भाजपा सांसद प्रज्ञा और ले. कर्नल पुरोहित हैं आरोपित

▸ कैमरे के समक्ष सुनवाई में न्यायाधीश, दोनों पक्षों के वकील, वादी और प्रतिवादी ही उपस्थित रहते हैं।

▸ महाराष्ट्र के मालेगांव कस्बे की मस्जिद में 29 सितंबर, 2008 को हुए विस्फोट में छह लोग मारे गए थे

मुंबई, प्रेट्र : मालेगांव विस्फोट मामले में पत्रकारों के एक समूह ने विशेष अदालत में कैमरे के सामने सुनवाई की एनआइए की याचिका के खिलाफ अर्जी दी है। महाराष्ट्र के नाशिक जिले के मालेगांव कस्बे की मस्जिद में 29 सितंबर, 2008 को हुए विस्फोट में छह लोग मारे गए थे और 100 लोग घायल हुए थे। मामले में भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित आरोपित हैं।

कैमरे के समक्ष सुनवाई में न्यायाधीश, दोनों पक्षों के वकील, वादी और प्रतिवादी ही उपस्थित रहते हैं। इस तरह की सुनवाई में मीडिया और जन सामान्य की उपस्थिति नहीं होती। इस सुनवाई की जानकारी भी सार्वजनिक नहीं की जा सकती। पिछले सप्ताह राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) ने अदालत में कैमरे के समक्ष सुनवाई की अर्जी दी थी। इसके लिए मामले का संवेदनशील होना बताया था।

इसे 38 गवाहों की सुरक्षा की दृष्टि से जरूरी बताया था। एनआइए ने अपनी अर्जी में कहा था कि यह उस इलाके में हुई वारदात का मामला है जहां पर एक खास समुदाय के लोगों की बहुलता है। इससे सुनवाई की जानकारी सार्वजनिक होने पर तनाव बढ़ेगा और गवाहों की सुरक्षा खतरे में पड़ेगी। सोमवार को एनआइए की इस अर्जी के खिलाफ विभिन्न अखबारों और टीवी न्यूज चैनलों के 11 पत्रकारों ने अर्जी दी।

उन्होंने जानकारियों को गोपनीय न रखे जाने की अपील की। अधिवक्ता रिजवान मर्चेंट और गायत्री गोखले की ओर से दाखिल इस अर्जी में पत्रकारों ने मामले की रिपोर्टिंग के अपने अधिकार और उसकी जानकारी जनता को देने का हवाला दिया है। कहा है कि मामले को गोपनीय रखने से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का हनन होगा। न्यायाधीश विनोद पडालकर ने पत्रकारों की अर्जी को स्वीकार कर लिया है। मंगलवार को इस पर एनआइए की ओर से जवाब दाखिल किया जाएगा।

सीमा से 12 बांग्लादेशी घुसपैठिए गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, कोलकाता : सीमा सुरक्षा बल के साउथ बंगाल फ्रंटियर के जवानों ने अभियान चलाकर अवैध रूप से अंतरराष्ट्रीय सीमा पार करने की कोशिश कर रहे 12 बांग्लादेशी घुसपैठियों सहित दो भारतीय नागरिकों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही सीमावर्ती मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर 24 परगना और नदिया जिले के विभिन्न स्थानों से फिर 1149 बोतल प्रतिबंधित फेंसिडिल (सिरप) और 81 मवेशियों को जब्त किया है। तस्कर इन प्रतिबंधित सामानों को अंतरराष्ट्रीय सीमा से बांग्लादेश ले जाने की कोशिश कर रहे थे।

साउथ बंगाल फ्रंटियर मुख्यालय की ओर से बताया गया कि एक गुप्त सूचना पर नदिया जिले के महाकोला सीमा चौकी पर तैनात 81वीं बटालियन के जवानों ने महाकोला व उसके निकटवर्ती गांवों में विशेष अभियान चलाकर तस्करी के प्रयास को नाकाम किया। सीमा के पास दो तस्करों की संदिग्ध गतिविधि दिखने पर जवानों ने उन्हें रूकने की चुनौती दी। हालांकि, जवानों को देखकर उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन पीछा कर एक तस्कर रकीबुल सरदार (32) को पकड़ लिया, जबकि दूसरा अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकलने में सफल रहा। तलाशी के दौरान पांच बैग मिले जिसमें 653 बोतल फेंसिडिल बरामद हुए।

पहाड़ी दरकी, बस पर मलबा गिरा

पहाड़ों में वर्तमान में भूस्खलन जारी है। हिमाचल प्रदेश के शिमला के साथ सटी हसन वैली के समीप सोमवार दोपहर एक पहाड़ी दरक गई। पहाड़ी का मलबा एक होटल के कर्मचारियों को लेकर जा रही बस पर गिरा। इससे एक कर्मचारी घायल हो गया जिसे आइजीएमसी में दाखिल करवाया गया है। पहाड़ी दरकने से सड़क करीब दो घंटे तक बाधित रही। जागरण

एसिड अटैक मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने दिया सरकारों को अंतिम मौका

▸ सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी दिशानिर्देशों को लागू करने का मामला

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आखिरी मौके के तौर पर राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों और अन्य को चार हफ्ते के भीतर एसिड अटैक मामलों पर जवाब दाखिल करने को कहा।

संबद्ध पक्षों को खुलेआम हो रही एसिड की बिक्री पर भी जवाब देना है। शीर्ष न्यायालय ने इस मामले में केंद्र सरकार समेत 42 प्रतिवादियों के लिए नोटिस जारी किए हैं। केवल 13 प्रतिवादियों ने मामले में जवाब दाखिल किए हैं। फरवरी 2018 में दायर जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ सुनवाई कर रही है।

याचिका दाखिल करने वाली अधिवक्ता अनुजा कपूर ने कहा, शीर्ष न्यायालय द्वारा दिए निर्देशों के क्रियान्वयन संबंधी प्रतिवादियों के जवाब को शपथ पत्र के रूप में स्वीकार किया जाए। जिन राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन किया और जिन्होंने आदेश का पालन नहीं किया, उनकी अलग-अलग सारणी बनवाई जाएं। अभी तक केंद्रीय गृह मंत्रालय, महिला और बाल कल्याण मंत्रालय के अतिरिक्त गोवा, मिजोरम, ओडिशा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और झारखंड ने ही जवाब दाखिल किए हैं। जनहित याचिका में एसिड पीड़ितों के पुनर्वास और उन्हें अन्य सुविधाएं देने के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को दिशानिर्देश देने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में पीड़ितों को न्यूनतम तीन लाख रुपये और अधिकतम 12 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने का आदेश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट फाइल

आगरा में तीन तलाक में पहली गिरफ्तारी, शौहर को जेल भेजा

जागरण संवाददाता, आगरा : बीवी को तीन तलाक देने वाले शौहर को पुलिस ने सोमवार को जेल भेज दिया। ताज नगरी में तीन तलाक के पहले मुकदमे के साथ ही यह पहली गिरफ्तारी भी है। दंपती ने सात महीने पहले लव मैरिज की थी। कारोबारी ने बीवी को मोबाइल पर मायके वालों से बात करने पर प्रतिबंध लगा रखा था। खंदारी क्षेत्र निवासी फरहीन का निकाह सात महीने पहले लोहामंडी निवासी जमीरउद्दीन के साथ हुआ था। रविवार को थाने पहुंची फरहीन ने शौहर पर तीन तलाक देकर घर से निकालने का आरोप लगाया। पुलिस ने कारोबारी के खिलाफ मुस्लिम महिला प्रोटेक्शन एक्ट एवं दहेज उत्पीड़न और मारपीट के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था। गिरफ्तार शौहर ने बताया कि दोनों ने अपने परिवार वालों की मर्जी के खिलाफ प्रेम विवाह किया था। जमीरउद्दीन ने बीवी को मोबाइल नहीं दे रखा था। अपने मोबाइल से ही बीवी को बात करने देता था। बीवी पर मायके वालों से बातचीत करने पर प्रतिबंध लगा रखा था। इस पर दोनों के बीच झगड़ा होने लगा। इस पर शौहर ने उसे तलाक दे दिया। पुलिस ने बताया कि आरोपित को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया।

थोड़ी राहत

कुंभ के पहले हुई थी बंदी, अब पचास फीसद क्षमता पर संचालन की अनुमति, सरकारी मशीनरी की कछुआ चाल, 209 टेनरियां अभी भी रहेंगी बंद

चल सकेंगी कानपुर की सिर्फ 26 टेनरियां

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

कुंभ के पहले एक साथ बंद कर दी गई उत्तर प्रदेश में कानपुर और उन्नाव की टेनरियों को खोलने की प्रक्रिया कछुआ चाल से चल रही है। लंबे इंतजार के बाद संचालन की अनुमति दी भी तो सिर्फ 26 को ही। चमड़ा उद्योग हजारों करोड़ रुपये का नुकसान उठा चुका है, तब जाकर 50 फीसद क्षमता पर टेनरियों के संचालन की अनुमति दी जा रही है।

प्रदेश सरकार ने कुंभ में स्वच्छ गंगाजल मुहैया कराने के लिए कानपुर व उन्नाव की सभी टेनरियां बंद कर दी थीं। सरकार ने यह निर्देश दिए थे कि गंगा में जीरो डिस्चार्ज वाली टेनरियां व उद्योग ही संचालित हो सकते हैं। इसके तहत कानपुर की 263 में से 28 टेनरियों का संचालन कुंभ के दौरान भी होता रहा।

बंद हुई टेनरियों के संचालन की अनुमति कुंभ खत्म होने के बाद भी इसलिए नहीं मिली, क्योंकि सरकार को गंगा में फिर से प्रदूषण फैलने का खतरा लग रहा था। कॉमन एफ्लूएंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) के पूरी क्षमता से न चलने के कारण सरकार ने टेनरियों को 50 फीसद क्षमता पर ही संचालित करने की शर्त लगाई। पिछले दिनों टेनरी संचालकों ने अपनी इकाइयां 50 फीसद क्षमता पर संचालित करने का शपथ पत्र दिया। इसके बाद संबंधित विभागों की टीम ने टेनरियों का सर्वे शुरू किया। इस प्रक्रिया को भी एक माह से ज्यादा का समय हो चुका है।

गंगा में जीरो डिस्चार्ज वाली 28 टेनरियों का ही संचालन कुंभ के दौरान हुआ था। प्रतीकात्मक

अब कानपुर के जिलाधिकारी ने सत्यापन के बाद इनके प्रस्ताव शासन को भेजे हैं, जिसके आधार पर सरकार ने 26 टेनरियों के संचालन की अनुमति दी है। 209 टेनरियों को अभी भी खुलने का इंतजार है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव आशीष तिवारी ने बताया कि जिन टेनरियों का सत्यापन डीएम करके भेज रहे हैं, उनके संचालन की अनुमति दी जा रही है।

> लगभग सभी टेनरियों का सर्वे हो चुका है। आधी से अधिक टैनरियों की रिपोर्ट भी शासन को भेजी जा चुकी है। इसके बाद भी पता नहीं क्यों अनुमति देने में इतनी देर की जा रही है। इससे उद्योग प्रभावित हो रहा है और कारोबारी हतोत्साहित हो रहे हैं।
>
> **-असद के इराकी**
> **महासचिव, लेदर इंडस्ट्री वेलफेयर एसोसिएशन, कानपुर**

मुजफ्फरपुर व मधुबनी में भगदड़, दर्जनों कांवड़िये जख्मी

मुजफ्फरपुर, जागरण टीम : सावन की तीसरी सोमवारी पर मुजफ्फरपुर और मधुबनी में श्रद्धालुओं द्वारा जलाभिषेक के दौरान भगदड़ मच गई। भगदड़ में दर्जनों कांवड़िये जख्मी हो गए। इनमें अधिकतर महिलाएं हैं। जख्मी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ पर जलाभिषेक के लिए रविवार की देर रात से ही भारी संख्या में श्रद्धालुओं की जुटान हो गई थी। देर रात करीब दो बजे के बाद भीड़ अनियंत्रित हो गई। अचानक गेट खुलने के बाद यह भीड़ बेकाबू हो गई। इसमें कई श्रद्धालु गिर गए। इनमें कई को चोट भी लगी। इसी तरह की स्थिति मधुबनी के रहिका में हुई। यहां के कपिलेश्वर शिवालय पर भगदड़ में दो दर्जन श्रद्धालु घायल हो गए। जयनगर की कमला नदी से जल लेकर चले शिवभक्त भारी तादाद में शिवालय के द्वार पर जमा हो गए। फिर करीब एक बजे रात में शिवालय का पट खुलते ही वहां अफरातफरी मच गई। भगदड़ हो जाने से दो दर्जन श्रद्धालु घायल हो गए।

डेरा प्रमुख की पैरोल के लिए पत्नी हाई कोर्ट की शरण में

▸ हाई कोर्ट ने जेल अधीक्षक को पांच दिन में निर्णय लेने का दिया आदेश

▸ गुरमीत सिंह की मां के बीमार होने को पैरोल का बनाया आधार

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़

डेरा सच्चा सौदा सिरसा के प्रमुख गुरमित सिंह को पैरोल देने की मांग को लेकर हाई कोर्ट में एक याचिका दायर हुई है। डेरामुखी की पत्नी हरजीत कौर ने हाई कोर्ट में दायर याचिका में बताया हैं कि गुरमीत सिंह की मां यानी उसकी सास नसीब कौर बीमार हैं और उनकी आयु 85 साल है।

पिछले दिनों उसकी सास को हार्ट अटैक भी आया था, लेकिन वह अपना इलाज नहीं करवा रही हैं। कुछ दिन बाद उनकी एंजीयोग्राफी होनी है। ऐसे में उसकी इच्छा है कि गुरमीत सिंह उसके पास हो। जब तक उसका बेटा उसके पास नही आएगा वह इलाज नही कराएगी। इसी वजह से उन्होने रोहतक जेल के जेल अधीक्षक को 29 जुलाई को एक मांगपत्र देकर गुरमीत सिंह को पैरोल देने की मांग की थी। मगर जेल प्रशासन उनकी मांग पर कोई विचार नहीं कर रहा।

हाई कोर्ट में वकीलों द्वारा वर्क सस्पेंड के कारण मामले में कोई वकील कोर्ट में पेश नही हो सका। हरजीत कौर की तरफ से गुरमीत सिंह के बेटे जसमीत सिंह ने पैरवी की। हाई कोर्ट ने जेल अधीक्षक रोहतक को आदेश दिया कि वह जेल विभाग द्वारा जारी 2014 के नियमों के तहत अच्छे आचरण के तहत गुरमीत सिंह को पैरोल देने पर विचार करे। अगर वह ऐसा करने में अक्षम हैं तो अपने उच्च अधिकारियों को यह मांग पत्र भेजे व पांच दिन में निर्णय लें।

ज्ञात रहे कि इससे पहले भी गुरमीत सिंह ने अपनी दत्तक बेटी की शादी में जाने के लिए पैरोल की मांग को लेकर हाई कोर्ट से गुहार लगाई थी जो बाद में उसने वापस ले ली थी। उसके बाद उसने खेती के लिए जेल अधीक्षक से पैरोल मांगा, लेकिन वह अर्जी भी बाद में वापस ले ली गई थी।